

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल द्वितीय के संबंध में विभाग को प्राप्त/दूरभाष पर प्राप्त शंकाओं का निराकरण करने के संबंध में

प्रश्न 1— भर्ती के संबंध में आवेदन भरने के संबंध में विभिन्न प्रकार की शंकाएँ ?

उत्तर — विभाग के द्वारा विस्तृत विज्ञापन विभाग की वेबसाईट पर दिया गया है अतः प्रत्येक अभ्यर्थी उसका दो-तीन बार अध्ययन करे। विभाग के द्वारा विस्तृत निर्देश विस्तृत विज्ञप्ति में दिये गये हैं जिनके संबंध में भी आशार्थियों के द्वारा बार-बार दूरभाष के माध्यम से विभाग को शंकाओं के समाधान के लिए कहा जा रहा है। विज्ञप्ति में यदि नहीं कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तब ही विभाग को शंकाएँ बताएँ।

प्रश्न 2— विभाग को ज्यादातर आवेदन पत्र भरने में टेक्निकल प्रोब्लम आ रही है फिल्ट्र से लगातार फोन आ रहे हैं इन्हें सही करावे ?

उत्तर — यदि आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रोब्लम आ रही है (आवेदन सबमिट/आवेदन पत्र पूर्ण होने से पूर्व बाहर आ जाये/आवेदन पत्र भरते वक्त बीच में रूक जाये/अथवा अन्य कोई टेक्निकल समस्या) तो दूरभाष नंबर 0294-3057541 purva.vyas@e-connectsolutions.com , vikram.chauhan@e-connectsolutions.com संपर्क करे। विज्ञप्ति के संबंध में कोई अथवा आवेदन पत्र के कॉलम में कोई समस्या है तो विभाग के नंबर 0151-2207047 पर संपर्क करें।

प्रश्न 3 —वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व वर्ष २०१६ में आवेदन किया गया था क्या उन्हें दुबारा आवेदन करना होगा -

उत्तर- जी हाँ,

प्रश्न 4— शिक्षक भर्ती 2016 में पूर्व में आवेदन किया गया है उसे किस तरह आवेदन किया जाना है ?

उत्तर — राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 06.07.2016 के तहत जिन आवेदकों द्वारा लेवल द्वितीय के लिए आवेदन किया गया राज्य सरकार की संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.08.17 के अनुसार (विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6.1 (B) के अनुसार) अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित संपूर्ण सूचनाएँ ऑन लाईन पोर्टल पर पूर्व आवेदन पत्र की एप्लीकेशन रेफरेन्स आई डी का उपयोग कर अपना डाटा अपडेट करना होगा अन्यथा संपूर्ण सूचनाओं के अभाव में उनका पूर्व का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।

प्रश्न 5— शिक्षक भर्ती 2016 में पूर्व में आवेदन किया गया है तो उसे क्या ये आवेदन के साथ फीस राशि दी जानी है अथवा नहीं ?

उत्तर — राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 06.07.2016 के तहत जिन आवेदकों द्वारा लेवल द्वितीय के लिए आवेदन किया गया था उन्हें दुबारा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। वे पूर्व आवेदन पत्र की एप्लीकेशन रेफरेन्स आई डी का विवरण देते हुए अपने पूर्व आवेदन पत्र की सूचनाओं को अपडेट करेंगे।

प्रश्न 6— शिक्षक भर्ती 2016 में पूर्व में आवेदन किया गया था लेकिन एप्लिकेशन आईडी उपलब्ध नहीं है अथवा पूर्व के आवेदन पत्र में ही सुधार करना चाहता है तो क्या कार्यवाही की जानी है ?

उत्तर— यदि किसी आवेदक के पास उसकी एप्लीकेशन रेफरेन्स आई डी उपलब्ध नहीं हो अथवा पूर्व के आवेदन में कोई त्रुटि का संशोधन करना चाहता है तो उस अभ्यर्थी को नया आवेदन ही करना होगा।

प्रश्न 7—क्या एक विषय में एक से अधिक आवेदन किया जा सकता है-

उत्तर — हाँ , अलग अलग sso id का उपयोग कर एक विषय में एक से अधिक आवेदन किया जा सकता है, प्रत्येक फार्म हेतु अलग अलग शुल्क भरना होगा व अंतिम आवेदन मान्य होगा।

प्रश्न 8— क्या एक से अधिक विषय में आवेदन किया जा सकता है-

उत्तर — हाँ , एक ही sso id से एक से अधिक विषय में आवेदन किया जा सकता है व प्रत्येक आवेदन हेतु अलग अलग शुल्क भरना होगा।

प्रश्न 9 — क्या ऑफ लाईन आवेदन पत्र भरा जा सकता है ?

उत्तर— जी नहीं।

प्रश्न 10 —Technical समस्या आ रही है कि किसी आशार्थी के द्वारा एक sso id से आवेदन पत्र भर दिया गया है वह किसी भी कारणवश नया आवेदन पत्र भरना चाहता है तो कम्प्यूटर पर लिखा आता है कि आपके द्वारा पूर्व में आवेदन पत्र भर दिया गया है तो क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तर — अभ्यर्थी नवीन sso id से नया आवेदन पत्र भर सकता है।

प्रश्न 11 – क्या ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट/फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है ?

उत्तर – जी हां। भविष्य में किसी संदर्भ में देखने हेतु/चयन के समय आवेदन पत्र की आवश्यकता रहेगी अतः इसे अपने पास सुरक्षित रखें। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र की प्रति अभी किसी भी कार्यालय को नहीं भिजवाई जानी है।

प्रश्न 12– आशार्थियों के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय की जाने वाली मुख्य गलतियां जिनका विशेष ध्यान रखा जावे।

उत्तर– यदि अभ्यर्थी ओबीसी नॉन क्रिमीलियर/एससी/एसटी/विधवा/विवाह विच्छिन्न/खिलाडी/भू.पूर्व सैनिक/विकलांग आशार्थी है तो वह एक पुनः स्पष्ट रूप से चैक कर लेवे की उसने अपनी कैटेगिरी का आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है अथवा नहीं। इसके अलावा अन्य आशार्थी भी चैक कर लेवें कि कहीं उसने भी इसके अनुसार अपने आवेदन में कहीं गलती से तो आवेदन में कॉलम तो नहीं भर दिया गया है। क्योंकि एक बार आवेदन पत्र भरने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो उसे नया आवेदन पत्र भरना होगा।

प्रश्न 13–जिस विषय हेतु आवेदन किया जा रहा है विज्ञप्ति के अनुसार वह विषय स्नातक या अतिरिक्त विषय स्नातक में एवं RTET/REET में होना आवश्यक है।

उत्तर– जी हां

प्रश्न 14– आशार्थी के द्वारा प्रशैक्षिक योग्यता (बीएड) अथवा बी.एस.टी.सी. उत्तीर्ण करने से पूर्व ही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) उत्तीर्ण कर ली गई है क्या वह पात्र माना जाना जायेगा।

उत्तर – अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) से पूर्व प्रशैक्षिक योग्यता (बीएसटीसी / बीएड) अर्जित होनी अनिवार्य है।

प्रश्न 15–आवेदन भरते समय Education Qualifications के कॉलम 1 Secondary में Subject Group में क्या भरा जाना है ?

उत्तर– यदि Subject नहीं है तो NA भर सकते है।

प्रश्न 16–आवेदन भरते समय Education Qualifications के कॉलम क्या भरा जाना है ?

उत्तर–

- विषय ग्रुप में science / arts / commerce या जो भी अकेडमिक ग्रुप है, भरा जाना है।
- विषय के कॉलम में सारे ऐच्छिक विषय भरने है। post graduate होने पर केवल एक विषय भरा जाएगा।
- स्नातक की लाइन में केवक स्नातक के ऐच्छिक विषय ही भरने है additional का विषय यहाँ नहीं भरने है।
- बी.एड. अथवा बीएसटीसी के अध्यापन विषय भरने है।
- रीट या टेट के आगे इनमें जो विषय उत्तीर्ण कर रखे है, वे विषय भरने है।
- केवल बीएसटीसी होने पर बीएड वाली लाइन में ही बीएसटीसी के विषय भरने है

Note-अभी ऑनलाइन एप्लिकेशन में बीएसटीसी की अलग से योग्यता दिखाई नहीं दे रही है, ऑनलाइन प्रोग्राम में बीएसटीसी की लाइन जुड़वाई जा रही है ,तब तक के लिए बीएड वाली लाइन में ही बीएसटीसी का विवरण देना है। यदि कोई आवेदक बीएसटीसी व बीएड दोनों ही योग्यता रखता है तो उसे टेट या रीट से पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा (बीएसटीसी / बीएड) का विवरण भरना है।

प्रश्न 17 –आशार्थी को कौन – कौन सी अंकतालिका स्कैन करनी है ?

उत्तर– (1) स्नातक की अंकतालिका तथा यदि अतिरिक्त विषय में स्नातक उत्तीर्ण कर रखी है तो दोनों अंकतालिकाएँ एक साथ स्कैन करनी है।

(2) टेट/रीट की अंकतालिका स्कैन करनी है।

प्रश्न 18 –आवेदन भरते समय Education Qualifications numbers के कॉलम क्या भरा जाना है ?

उत्तर–

- 10 वीं / 12 वीं graduation / post graduate / बीएड / बीएसटीसी / टेट अथवा रीट में कूल अंक व प्राप्तांक भरने है।
- सभी परीक्षाओं के कूल अंक व इनमें से प्राप्तांक भरने है ,उदाहरण के तौर पर स्नातक अंतिम वर्ष की अंक तालिका में तीनों वर्षों के कूल अंक व प्राप्तांक अंकित होते है वे अंक ही भरने है , केवल एक विषय के अंक नहीं भरने है यह ध्यान रखें।
- स्नातक परीक्षा Additional subject में कर रखी हो तो उसके अंक यहाँ नहीं भरने है। additional के लिए subject फॉर graduation वाली टेबल में अलग से अंक व विषय भरने है।

प्रश्न 19— Education Qualifications के कॉलम 6 में Duration (in months) की अवधि में क्या भरा जाना है ?

उत्तर— 10वीं/12वीं के लिए 12, बीएड के लिए 12, बीएसटीसी के लिए 24, स्नातक के लिए 36, स्नातकोत्तर के लिए 24 तथा रीट/टेट के लिए 00 भरना है।

नोट— यदि किसी आवेदक द्वारा दिनांक 26/09/2017 को या इसके बाद फार्म भरा जा चुका है व duration के आगे कोई अलग से अवधि भर दी गई है तो उसके आवेदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा व उसे इस कारण से दुबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 20— Education Qualifications के admission date / passing date में क्या भरा जाना है ?

उत्तर— (1) admission date - केवल बीएड की प्रवेश तिथि अंकित करनी है, यदि किसी आवेदक द्वारा दिनांक 26/09/2017 को या इसके बाद फार्म भरा जा चुका है तो उसके आवेदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा व उसे बीएड की प्रवेश तिथि नहीं भरने के कारण दुबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यदि प्रार्थी चाहे तो अपनी संतुष्टि के लिए पुनः नया आवेदन कर सकता है।

(2) passing date - बीएड या अन्य परीक्षाओं के आगे उत्तीर्ण तारीख भरनी है, यदि किसी ने पुनर्मूल्यांकन करवाया है अथवा किसी परीक्षा का संसोधित परिणाम जारी हुआ है तो भी उस परीक्षा का प्रथम बार परिणाम जारी होने की तिथि भरनी है, संसोधित परिणाम जारी होने की तिथि नहीं भरनी है। (टेट का संसोधित परिणाम जारी हुआ था वह तारीख नहीं भरनी है बल्कि टेट का प्रथम बार परीक्षा परिणाम जारी हुआ था वह तारीख भरनी है)

प्रश्न 21— स्नातक के विषय (Subject for Graduation) कैसे भरे ?

उत्तर—

- सबजेक्ट ग्रुप में चार समूह हैं - आपके स्नातक परीक्षा में जो ऐच्छिक विषय है उसके अनुसार विषय ग्रुप सलेक्ट कर उसके आगे के कॉलम में दिये गए विषय को सलेक्ट करना है, बीए में इंग्लिश होने पर language ग्रुप सलेक्ट कर आगे अँग्रेजी सलेक्ट करना है व अन्य के लिए sst group / बीएससी होने पर साइन्स मेथ्स ग्रुप सलेक्ट कर उसके आगे विषय भरने हैं हैं आपके द्वारा जिस विषय में आवेदन किया जा रहा है वह विषय स्नातक में होना अनिवार्य है उस का सबजेक्ट ग्रुप सिलैक्ट कर वह विषय भर देवे उसके बाद यदि उस विषय के अलावा दूसरे विषय ऑनलाइन आवेदन में नहीं है (उदाहरण-कम्प्यूटर साइन्स, साइकोलोजी, comerce) तो any other को सलेक्ट करे।
- यदि आवेदक द्वारा जिस विषय में आवेदन किया जा रहा है, स्नातक में वह विषय नहीं है (उदाहरण कॉमर्स) व आवेदक द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में आवेदित विषय में स्नातक उत्तीर्ण कर रखी है तो ऊपर की तीन लाइन में any other सलेक्ट करना है उसके बाद चौथी लाइन में additional subject group सलेक्ट कर उसके आगे additional subject तथा उसके कूल अंक व प्राप्तांक व अन्य सूचनाएँ भरनी हैं।

नोट- आवेदक द्वारा जिस विषय में आवेदन किया जा रहा है उसकी स्नातक परीक्षा में वह विषय होने पर additional subject का विवरण नहीं भरना है। स्नातक में आवेदित विषय नहीं होने पर ही additional subject का विवरण भरना है

प्रश्न 22 —यदि किसी आशार्थी द्वारा चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम (बीएबीएड/बीएससीबीएड) के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है तो उसके अंको को किस तरह जोडा जाना है ?

उत्तर— चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता की स्नातक उपाधि की परीक्षा के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिए मान्य होंगे। (इनमें अधिस्नातक/बीएड के प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जाना है) व प्रशैक्षिक विषयों के अंक अलग से निकालकर बीएड वाली लाइन में भरना है।

प्रश्न 23— स्नातक के कौनसे अंक जोडे जाने हैं।

उत्तर— स्नातक के अंकों में अंतिम वर्ष (तीनो वर्ष के) के कुल प्राप्तांकों का ही अंकन किया जाना है। इसमें केवल विषय के प्राप्तांक नहीं जोडे जाने हैं।

प्रश्न 24 – यदि किसी आशार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है तो उसके अंको को किस तरह जोड़ा जाना है ?

उत्तर— यदि किसी आशार्थी ने स्नातक ऐसे अतिरिक्त विषय (उदाहरणार्थ—अंग्रेजी) में उत्तीर्ण की है उस विषय (उदाहरणार्थ—अंग्रेजी) के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है तो बिन्दु संख्या 21 के अनुसार अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक भरे जाने हैं, जो कि अपने आप स्नातक के अंको के साथ जुड़कर 30 प्रतिशत वाले कॉलम में कम्प्यूटर से आ जायेगा। (स्नातक के साथ अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक जोड़कर नहीं भरने है) यदि जिस विषय (उदाहरणार्थ—अंग्रेजी) के लिए आवेदन किया जा रहा है और वह विषय (उदाहरणार्थ—अंग्रेजी) स्नातक में है तो अतिरिक्त विषय के कॉलम में नहीं भरा जाना है। ना ही उसके अंक जोड़े जाने है।

प्रश्न 25 – क्या विज्ञान- गणित हेतु अलग –अलग आवेदन करना होगा ?

उत्तर— नहीं , विज्ञान- गणित हेतु एक ही आवेदन करना होगा।

प्रश्न 26 –आशार्थी को जिले की प्राथमिकता में क्या सभी जिले भरने आवश्यक है चाहे उसमें रिक्तिया चाहे ना भी हो ?

उत्तर— जी हां। आशार्थी को सभी जिले भरे जाने आवश्यक है (टीएसपी के लिए 05 व नॉन टीएसपी के लिए 31 जिले भरे जाने आवश्यक है चाहे पद विज्ञापित हो अथवा नहीं)। नियुक्ति के लिए जिनसें की प्राथमिकता के आधार पर सावधानीपूर्वक भरी जायें, बाद में किसी भी प्रकार की संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त कोई ओर समस्या है तो purva.vyas@e-connectsolutions.com

vikram.chauhan@e-connectsolutions.com , niyukti.ele@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं